न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारी: श्रवण सिंह राठौड़, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या: 00068 / 2020

उनवान

1. गणेशलाल पिता शंकरलाल जाति ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी बोरी तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)।

—: वादी।

बनाम

1. पुष्पा देवी पत्नी हितेश जोशी जाति ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी बोरी तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)।
2. हितेश पिता ईच्छाशकंर जोशी जाति ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी बोरी तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)।
3. ईच्छाशकंर पिता गेफरलाल जोशी जाति ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी बोरी तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)।
4. कृष्णा जोशी पत्नी जीतेश जोशी जाति ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी बोरी तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)।
5. जीतेश जोशी पिता इच्छाशंकर जोशी जाति ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी बोरी तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)।
6. तहसीलदार तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)।

—: प्रतिवादीगण।

वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 10.6.2025

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खाता संख्या 213 नया, 193 पुराना जमाबन्दी संवत 2072—75 के अनुसार सर्वे नम्बर 3354 रकबा 0.03 एयर भूमि वाके राजस्व गांव बोरी पटवार क्षेत्र बोरी तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा में स्थित है। वादी उक्त कृषि भूमि पर बहैसियत खातेदार के काबिज होकर काश्त कर राज्य सरकार में लगान अदा करता चला आ रहा है। उक्त भूमि पर वादी का स्वामित्व व आधिपत्य स्थित है। वर्ष माह अक्टूबर 2019 में वादी उक्त कृषि भूमि में कृषि कार्य हेतु गया तब प्रतिवादीगण ने वादी के साथ लडाई झगडा किया। प्रतिवादीगण वादी के साथ आए दिन लडाई झगडा कर उक्त कृषि भूमि में बेदखल करने के उद्देश्य से व्यवधान पैदा कर रहे हैं। अरसा करीब 15 दिन से वादी की भूमि में अनाधिकृत प्रवेश होकर वादी को धमकी दे रहे हैं एवं प्रतिवादीगण वादी को अपनी भूमि से जबरन बेदखल करना चाहते है व उपयोग, उपभोग में बाधा व रूकावट उत्पन्न कर रहे है। प्रतिवादीगण उक्त घटना के पूर्व में भी वादी की उपरोक्त कृषि भूमि सर्वे नम्बर 3354 रकबा 0.03 में अनाधिकृत रूप से प्रवेश होकर [illegible] शान्तिपूर्वक कृषि कार्य में बाधा व रूकावट पैदा कर रहे हैं। [illegible] वादी को अपनी कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु बाउण्ड्री बनाने में अड़चन [illegible] कर रहे हैं, जिस पर वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध थाने में सूचना भी दी है। प्रतिवादीगण का वादी की [illegible] कृषि भूमि में कोई हक व अधिकार नहीं है तथा वादी [illegible] भूमि को जबरन हडपने [illegible] उक्त गैर कानुनी कृत्य कर रहे हैं तथा प्रतिवादीगण को वादी के हकों पर कुठाराघात करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। वादी का सर्वे नम्बर 3354 रकबा 0.03 किस्म—खवाडा है,

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:30:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाडा

Scanned with OKEN Scanner

लेकिन राजस्व रेकॉर्ड में बिना किसी प्रबल आदेश के किस्म–सड़क अंकन कर दिया है। जबकि कानुनी आधार पर प्री–इन्ट्रीस वापस राजस्व रिकॉर्ड में शुद्ध किया जा सकता है। अतः उक्त सर्वे नम्बर 3354 रकबा 0.03 किस्म सड़क के स्थान पर किस्म खवाडा न्यायहित में किया जाना आवश्यक है तथा वादग्रस्त भूमि पर वादी काबिज होकर उपयोग व उपभोग कर रहा है एवं खातेदार कृषक है। प्रतिवादीगण को वादी के खातेदारी की उक्त कृषि भूमि में प्रवेश करने एवं शान्तिपूर्वक कृषि कार्य करने में बाधा व रूकावट करने से नहीं रोका गया तो वादी को असीम हानि होगी तथा वादी को ऐसी क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयों में नहीं हो सकेगा एवं वादी अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित हो जाएगा तथा प्रतिवादीगण वादी की भूमि में अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे हैं । अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा वादी की भूमि में प्रवेश करने एवं शान्तिपूर्वक कृषि कार्य में बाधा व रूकावट पैदा नहीं करने से रोका जाना आवश्यक है। जिस हेतु वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डीक्री जारी किये जाने कि प्रतिवादीगण वादी की उक्त कृषि भूमि में प्रवेश नहीं करें एवं उसके शान्तिपूर्वक काश्त में किसी प्रकार की बाधा व रूकावट पैदा नहीं करें, न किसी अन्य से करावें एवं यदि प्रतिवादीगण दावे के दौरान अपने प्रशासनिक प्रभाव का उपयोग कर अतिक्रमण करता है तो आज्ञापक आदेश से हटाया जाने व वादग्रस्त सर्वे नम्बर 3354 रकबा 0.03 किस्म–सड़क के स्थान पर प्री–एन्ट्रीस किस्म–खवाडा राजस्व रिकॉर्ड में शुद्ध किये जाने बाबत् वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश हुआ।

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये जाने पर प्रतिवादीगण की ओर से श्री पवन लुहार अभिभाषक का वकालतनामा पेश हुआ। प्रतिवादीगण ने जवाब पेश कर कथन किया कि रकबा 0.03 एयर भूमि पर काश्त होना संभव नही है। प्रतिवादीगण ने वादी की किसी भूमि पर कोई अतिक्रमण नही किया है। वादी द्वारा तहसीलदार गढी को शिकायत की गई थी जो तहसीलदार द्वारा निराधार बताकर शिकायत खारीज कर दी। प्रतिवादी अपने स्वयं की भूमि पर काबीज है। प्रतिवादीगण ने वादी की किसी भी भूमि पर अनाधिकृत प्रवेश नही किया है, न ही कोई व्यवधान उत्पन्न किया है। प्रतिवादीगण अपने स्वयं की भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। वादीगण ने जान बुझकर झुठे तथ्यों पर वाद पेश किया है। प्रतिवादीगण ने वादी के हक व अधिकारो में कोई दखल नही किया है। तथा वादग्रस्त भूमि किस्म सडक है तो खेती होना असंभव है । प्रतिवादीगण ने वादी की किसी भूमि पर कोई कब्जा या दखल नही किया है। वादीगण ने गलत तथ्यों के आधार पर वाद पेश किया है। वादीगण ने मनगढन्त घटना बताकर वाद पेश किया है। मौके पर प्रतिवादीगण ने कभी भी विवाद नही किया । प्रतिवादीगण की बाऊण्ड्रीवाल वर्षो से बनी हुई है।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद एवं वाद के संलग्न प्रस्तुत दस्तावेज तथा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं जवाब के संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर प्रकरण में तनकियात् कायम की गई।

प्रकरण वादी की साक्ष्य हेतु नियत की जाने पर वादी साक्ष्य स्वरूप निम्नांकित गवाह प्रस्तुत किये:–

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:30:59 IST
Reason: SelfAttested

नाम	जाति	निवासी	गवाह
गणेशलाल पिता शंकरलाल	ब्राह्मण	बोरी तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा	PW-1
अरूण कुमार पिता शंकरलाल	ब्राह्मण	बोरी तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा	PW-2

- PW-1 गणेशलाल पिता शंकरलाल द्वारा शपथ–पत्र पेशकर कथन किये कि वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खाता संख्या 213 नया व 193 पुराना जमाबन्दी संवत 2072–75 के अनुसार सर्वे नम्बर 3354 रकबा 0.03 एयर भूमि राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाडा

Scanned with OKEN Scanner

गांव बोरी में स्थित है। वादी उक्त कृषि भूमि पर बहैसियत खातेदार के काबिज होकर काश्त कर राज्य सरकार में लगान अदा करता चला आ रहा हूं। उक्त भूमि पर मेरा स्वामित्व व आधिपत्य स्थित है। वर्ष माह अक्टुबर 2019 में मैं वादी कृषि भूमि में कृषि कार्य हेतु गया तब प्रतिवादीगण ने मुझ वादी के साथ लडाई झगड़ा किया। प्रतिवादीगण मुझ वादी के साथ आए दिन लडाई झगडा कर उक्त कृषि भूमि में बेदखल करने के उद्देश्य से व्यवधान पैदा कर रहे हैं। अरसा करीब 15 दिन से मुझ वादी की भूमि में अनाधिकृत प्रवेश होकर मुझ वादी को धमकी दे रहे हैं । प्रतिवादीगण मुझ वादी को अपनी भूमि से जबरन बेदखल करना चाहते हैं व उपयोग, उपभोग में बाधा व रूकावट उत्पन्न कर रहे हैं। प्रतिवादीगण प्रभावशाली व्यक्ति है व अपने प्रभाव का उपयोग प्रशासन व थाने में कर वादी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्रतिवादीगण द्वारा लडाई झगडा कर व मुझ वादी को अपनी कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु बाउण्डरी बनाने में अडचन पैदा कर रहे हैं, मुझ वादी का सर्वे नम्बर 3354 रकबा 0.03 हे0 किस्म–खवाडा है, लेकिन राजस्व रेकॉर्ड में बिना किसी प्रबल आदेश के किस्म–सडक अंकन कर दिया है। जबकि कानुनी आधार पर प्री–इन्ट्रीस वापस राजस्व रिकॉर्ड में में शुद्ध किया जा सकता है। अतः उकत सर्वे नम्बर 3354 रकबा 0.03 हे0 किस्म सड़क के स्थान पर किस्म खवाडा न्यायहित में किया जाना आवश्यक है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा वादी की भूमि में प्रवेश करने एवं शान्तिपूर्वक कृषि कार्य में बाधा व रूकावट पैदा नहीं करने से रोका जाना आवश्यक है।

गणेशलाल पिता शंकरलाल PW-1 द्वारा दस्तावेज प्रदर्श कराये गये जो इस प्रकार है। जमाबंदी संवत 2052 से 2055 प्रदर्श A-1, नामांकरण संख्या 123 प्रदर्श A-2, जमाबंदी संवत 2056 से 2059 प्रदर्श A-3, जमाबंदी 2072 से 2075 प्रदर्श A-4, सेटलमेन्ट ट्रेस नक्शा प्रदर्श A-5, नक्शा ट्रेस संवत् 2030 प्रदर्श A-6, भू–प्रबंध विभाग का खसरा प्रपंक प्रदर्श A-7 है।

गणेशलाल पिता शंकरलाल PW-1 की जिरह प्रतिवादी अभिभाषक द्वारा की जाने पर अभिकथन किया कि वादग्रस्त आराजी नं. 3354 है। यह बात सही है कि खाते में मेरा नाम है। दावा मैने पेश किया है वादग्रस्त सर्वे का रकबा 3 एयर है। 03 एयर कितना होता है मुझे नहीं पता। 3 एयर में खेती नहीं होती है बल्कि खलीयान है। यह बात सही है कि तहसीलदार को शिकायत की थी जो खारीज हो गई।

- PW-2 अरूण कुमार पिता शंकरलाल द्वारा शपथ–पत्र पेशकर कथन किये कि मैं वादी गणेशलाल एवं प्रतिवादीगण को जानता हुं एवं वादी की कृषि भूमि को भी जानता हूं। वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खाता संख्या 213 नया व 193 पुराना जमाबन्दी संवत 2072–75 के सर्वे नम्बर 3354 रकबा 0.03 एयर भूमि राजस्व गांव बोरी में स्थित है। वादी उक्त कृषि भूमि पर बहैसियत खातेदार के काबिज होकर काश्त कर राज्य सरकार में लगान अदा करता चला आ रहा है। उक्त भूमि पर वादी का स्वामित्व व आधिपत्य स्थित है। वर्ष माह अक्टुबर 2019 में वादी कृषि भूमि में कृषि कार्य हेतु गया तब प्रतिवादीगण ने वादी के साथ लडाई झगड़ा किया। प्रतिवादीगण वादी के साथ आए दिन लडाई झगडा कर उक्त कृषि भूमि में बेदखल करने के उद्देश्य से व्यवधान पैदा कर रहे हैं। अरसा करीब 15 दिन से वादी की भूमि में अनाधिकृत प्रवेश होकर वादी को धमकी दे रहे हैं। प्रतिवादीगण वादी को अपनी भूमि से जबरन बेदखल करना चाहते हैं व उपयोग, उपभोग में बाधा व रूकावट उत्पन्न कर रहे हैं। प्रतिवादीगण उक्त घटना के पूर्व में भी वादी की उपरोक्त कृषि भूमि सर्व नम्बर 3354 रकबा 0.03 हे. में अनाधिकृत रूप से प्रवेश होकर वादी को शान्तिपूर्वक कृषि कार्य में बाधा व रुकावट पैदा कर रहे हैं। प्रतिवादीगण द्वारा लडाई झगडा कर व वादी को अपनी कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु बाउण्डरी बनाने में अडचन पैदा कर रहे हैं, जिस पर

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:30:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध थाना गढ़ी में सुचना भी दी है। वादी का सर्वे नम्बर 3354 रकबा 0.03 किस्म–खवाडा है, लेकिन राजस्व रेकॉर्ड में बिना किसी प्रबल आदेश के किस्म सडक अंकन कर दिया है। उकत सर्वे नम्बर 3354 रकबा 0.03 किस्म सड़क के स्थान पर किस्म खवाडा न्यायहित में किया जाना आवश्यक है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा वादी की भूमि में प्रवेश करने एवं शान्तिपूर्वक कृषि कार्य में बाधा व रूकावट पैदा नहीं करने से रोका जाना आवश्यक है।

अरूण कुमार पिता शंकरलाल PW-2 द्वारा दस्तावेज प्रदर्श कराये जो इस प्रकार है। जमाबंदी संवत 2052 से 2055 प्रदर्श A-1, नामांकरण संख्या 123 प्रदर्श A-2, जमाबंदी संवत 2056 से 2059 प्रदर्श A-3, जमाबंदी 2072 से 2075 प्रदर्श A-4, सेटलमेन्ट ट्रेस नक्शा प्रदर्श A-5, नक्शा ट्रेस संवत् 2030 प्रदर्श A-6, भू–प्रबंध विभाग का खसरा प्रपंक प्रदर्श A-7 है।

अरूण कुमार पिता शंकरलाल PW-2 की जिरह प्रतिवादी अभिभाषक द्वारा की जाने पर अभिकथन किया कि मेरी भूमि का आराजी नम्बर 3354 है जिसकी किस्म–खरड है। दावा मेरे बडे भाई गणेशलाल जी ने पेश किया। यह बात सही है कि मेरे वादपत्र के कोलम 5 में भूमि की किस्म सडक लिखा गया जो सही है। यह बात सही है की रकबा 3 एयर भूमि पर काश्त नहीं हो सकती अजखुद कहा खलियान है। यह बात सही है हमारे वाद में वादग्रस्त भूमि पर हम काश्त कर रहे है यह कथन गलत है। अजखुद कहा की हम खलियान के रूप में उपयोग कर रहे है। यह बात गलत है कि हमने तहसीलदार को शिकायत की हो ओर तहसीलदार ने खारीज कर दी हो। यह बात गलत है कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण की बांउण्ट्रीवाल बनी हो। यह बात गलत है कि हम प्रतिवादीगण की जमीन हडपना चाहते है।

पत्रावली प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत की जाने पर प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य पेश नहीं की गई।

प्रकरण में भूमिधारी तहसीलदार, गढ़ी से रिपोर्ट ली जाने पर भूमिधारी तहसीलदार, गढ़ी द्वारा रिपोर्ट पेश अवगत कराया कि प्रकरण की जांच राजस्व टीम गठित कर उभयपक्ष के अधिवक्तागण की उपस्थिति में करवाई जार ग्राम बोरी के आराजी नम्बर 3354 रकबा 0. 03 हे. किस्म सड़क से खरड़ी वाडा की शुद्धि पूर्व में शुद्धि पत्र संख्या 5 दिनांक 16.8.2021 से कर दी गई थी। अतः वर्तमान में उक्त आराजी नम्बर की किस्म खरडी वाडा दर्ज रेकार्ड है। ग्राम बोरी के आराजी नम्बर 3354 रकबा 0.03 हे. जो गणेशलाल पिता शकरलाल जाति ब्राह्मण निवासी बोरी के नाम दर्ज रेकार्ड थी जो नामान्तरण संख्या 2731 दिनांक 7.6.2022 दानपत्र से रकबा 0.03 हे. में से रकबा 0.02 हे0 का दानपत्र अनुसार नामान्तरण अरूण कुमार पुत्र शंकरलाल जाति ब्राह्मण के नाम दर्ज होने से मुल नम्बर 3354 रकबा 0.03 हे. का आराजी नम्बर 16319/3354 रकबा 0.01 हे. गणेशलाल पुत्र शंकरलाल जाति ब्राह्मण दर्ज तथा आराजी नम्बर 16320/3354 रकबा 0.02 है. अरूण कुमार पुत्र शंकरलाल जाति ब्राह्मण वर्तमान जमाबंदी में दर्ज रेकार्ड है। ग्राम बोरी के आराजी नम्बर मुल 3354 की मौका जांच गठित राजस्व टीम भू.अ.नि गढ़ी व पटवारी हल्का बोरी तथा अधिवक्तागण की उपस्थिति में सीमांकन किया जिसमे मौका पर्चा अनुसार आराजी नम्बर मुल 3354 की रोड के सहारे चौडाई 16 मीटर नापकर बिन्दु लगाया तथा पूरी सीमांकन जानकारी के बाद आराजी न. मुल 3354 में 18 फीट पर अतिक्रम[illegible] में बाउण्ड्री बनी होना बताते हुए रिपोर्ट मय नामान्तरण की प्रति, [illegible] पेश हुआ।

प्रकरण में बकुलाय की बहस सुनी गई। बहस [illegible] मनन करने व वादी द्वारा प्रस्तुत वाद एवं वाद के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज जमाबंदी संवत 2052 से 2055 प्रदर्श A-1, नामांकरण संख्या 123 प्रदर्श A-2, जमाबंदी संवत [illegible]56 से 2059 प्रदर्श A-3, जमाबंदी 2072 से 2075 प्रदर्श A-4, सेटलमेन्ट ट्रेस नक्शा प्रदर्श A-5, नक्शा ट्रेस संवत् 2030 प्रदर्श A-6, भू–प्रबंध विभाग का खसरा पत्रक प्रदर्श A-7 तथा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:30:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

जवाब मय दस्तावेजो का अवलोकन किया जाकर प्रकरण में तनकिंवार निर्णय निम्नानुसार है।

तनकी संख्या 01:– आया ग्राम बोरी की जमाबन्दी संवत 2072–2075 के सर्वे नम्बर 3354 की भूमि वादी की खातेदारी है।

(वादी साबित करें)

वादी द्वारा अपनी साक्ष्य के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज भू–प्रबंध विभाग का खसरा पत्रक प्रदर्श ।.7, जमाबंदी संवत 2052 से 2055 प्रदर्श A-1, जमाबंदी 2072 से 2075 प्रदर्श A-4 व नामांकरण संख्या 123 प्रदर्श A-2, के अवलोकन यह साबित होता है कि वादग्रस्त भूमि सर्वे नम्बर 3354 रकबा 0.03 हे0 भूमि वादी के नाम दर्ज है। भूमिधारी तहसीलदार, गढ़ी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अवलोकन से ज्ञात आया कि वादग्रस्त भूमि सर्वे नम्बर नम्बर 3354 रकबा 0.03 हे0 भूमि जो कि वादी गणेशलाल पिता शकरलाल जाति ब्राह्मण निवासी बोरी के नाम दर्ज रेकार्ड थी जो नामान्तरण संख्या 2731 दिनांक 7.6.2022 दानपत्र से रकबा 0.03 हे. में से रकबा 0.02 हे0 का दानपत्र अनुसार नामान्तरण अरुण कुमार पुत्र शंकरलाल जाति ब्राह्मण के नाम दर्ज होने से मुल नम्बर 3354 रकबा 0.03 हे. का आराजी नम्बर 16319/3354 रकबा 0.01 हे. गणेशलाल पुत्र शंकरलाल जाति ब्राह्मण दर्ज तथा आराजी नम्बर 16320/3354 रकबा 0.02 है. अरूण कुमार पुत्र शंकरलाल जाति ब्राह्मण वर्तमान जमाबंदी में दर्ज रेकार्ड है। जिससे यह साबित होता है कि वादग्रस्त भूमि में से भूमि का बेचान कर दिया गया है। तथा शेष भूमि एवं बेचान की गई भूमि के नये नम्बर पड चुके है। अतः वादी यह साबित करने में असफल रहा कि खसरा सं. 3354 की भूमि वादी की खातेदारी है। अतः तनकी संख्या 01 आंशिक रूप से ही वादी के पक्ष में साबित होती है।

तनकी संख्या 02:– आया प्रतिवादीगण द्वारा वादी की आराजी पर अतिक्रमण का प्रयास किया जा रहा है, जिसके विरूद्ध वादी स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

(वादी साबित करें)

वादी द्वारा उक्त तनकी के समर्थन में गवाह ँ1 गणेशलाल पिता शंकरलाल एवं ँ2 अरूण कुमार पिता शंकरलाल की साक्ष्य का शपथ–पत्र पेश किया जिसमें दोनो द्वारा संयुक्त रूप से कथन किया है कि वर्ष माह अक्टुबर 2019 में वादी कृषि भूमि में कृषि कार्य हेतु गया तब प्रतिवादीगण ने वादी के साथ लडाई झगड़ा किया। प्रतिवादीगण वादी के साथ आए दिन लडाई झगडा कर उक्त कृषि भूमि से बेदखल करने के उद्देश्य से व्यवधान पैदा कर रहे हैं। अरसा करीब 15 दिन से वादी की भूमि में अनाधिकृत प्रवेश होकर वादी को धमकी दे रहे हैं। प्रतिवादीगण वादी को अपनी भूमि से जबरन बेदखल करना चाहते हैं व उपयोग, उपभोग में बाधा व रूकावट उत्पन्न कर रहे हैं। प्रतिवादीगण उक्त घटना के पूर्व में भी वादी की उपरोक्त कृषि भूमि सर्वे नम्बर 3354 रकबा 0.03 हे. में अनाधिकृत रूप से प्रवेश होकर वादी को शान्तिपूर्वक कृषि कार्य में बाधा व रुकावट पैदा कर रहे हैं। प्रतिवादीगण द्वारा लडाई झगडा कर व वादी को अपनी कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु बाउण्डरी बनाने में अडचन पैदा करना बताया है, वादी द्वारा अपने दावे में वादग्रस्त भूमि पर काश्त हो कर प्रतिवादीगण द्वारा कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न करना बताया है। जबकि वादी के गवाह गणेशलाल एवं अरूण कुमार ने अपनी जिरह में कहा कि वादग्रस्त भूमि पर काश्त नहीं होकर खलियान है। इसके अतिरिक्त भूमिधारी तहसीलदार, गढ़ी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि वादग्रस्त सर्वे नम्बर 3354 के फीट पर अतिक्रमण के रूप में बाउण्ड्री बनी है परन्तु यह बाउण्ड्री किसने बनाई इसका उल्लेख नहीं किया गया है। तथा वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि में से भूमि बेचान कर दिया गया है। अतः यह स्पष्ट करना सम्भव नही कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। लिहाजा उक्त तनकी वादी के विरूद्ध तथा प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:30:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढी, जिला बांसवाडा

Scanned with OKEN Scanner

तनकी संख्या 03:– आया वादग्रस्त भूमि की किस्म–सड़क दर्ज है, जिसको वादी शुद्ध करवाकर किस्म–खवाड़ा दर्ज करवाने का अधिकारी है।

(वादी साबित करें)

उक्त तनकी के समर्थन में गवाह PW-1 गणेशलाल पिता शंकरलाल एवं ॅ2 अरूण कुमार पिता शंकरलाल की साक्ष्य का शपथ–पत्र पेश किया जिसमें दोनो द्वारा संयुक्त रूप से कथन किया कि वादी का सर्वे नम्बर 3354 रकबा 0.03 किस्म–खवाडा है, लेकिन राजस्व रेकॉर्ड में बिना किसी प्रबल आदेश के किस्म सडक अंकन कर दिया है। वादी द्वारा अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज भू–प्रबंध विभाग का खसरा पत्रक प्रदर्श A-7, जमाबंदी संवत 2052 से 2055 प्रदर्श A-1, के अवलोकन से यह साबित होता है कि वादग्रस्त सर्वे नम्बर की किस्म–खवाडा है। तहसीलदार, गढ़ी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं संलग्न राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से ज्ञात आता है कि वादग्रस्त भूमि सर्वे नम्बर 3354 रकबा 0.03 की किस्म–खवाडा तहसीलदार, गढ़ी के शुद्धि पत्र संख्या 05 दिनांक 16.8.2021 द्वारा कर दिया गया है। अतः उक्त तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 04:– आया प्रतिवादीगण द्वारा वादी की भूमि पर कोई दखल नही किया जा रहा है, जिस कारण यह वाद निरस्तनीय है।

(प्रतिवादी साबित करें)

प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत अपने जवाब में यह कथन किया कि रकबा 0.03 एयर भूमि पर काश्त होना संभव नही है। प्रतिवादीगण ने वादी की किसी भूमि पर कोई अतिक्रमण नही किया है। वादी द्वारा तहसीलदार गढी को शिकायत की गई थी जो तहसीलदार द्वारा निराधार बताकर शिकायत खारीज कर दी। प्रतिवादी अपने स्वयं की भूमि पर काबीज है। प्रतिवादीगण ने वादी की किसी भी भूमि पर अनाधिकृत प्रवेश नही किया है, न ही कोई व्यवधान उत्पन्न किया है। उक्त तनकी के समर्थन में प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं की। उक्त तनकी की विरूद्ध वादी द्वारा गवाह ॅ1 गणेशलाल पिता शंकरलाल एवं ॅ2 अरूण कुमार पिता शंकरलाल की साक्ष्य का शपथ–पत्र पेश किया जिसमें दोनो द्वारा संयुक्त रूप से कथन किया है कि वर्ष माह अक्टुबर 2019 में वादी अपनी भूमि में कृषि कार्य हेतु गया तब प्रतिवादीगण ने वादी के साथ लडाई झगड़ा किया। प्रतिवादीगण वादी के साथ आए दिन लडाई झगडा कर उक्त कृषि भूमि में बेदखल करने के उद्देश्य से व्यवधान पैदा कर रहे हैं। अरसा करीब 15 दिन से वादी की भूमि में अनाधिकृत प्रवेश होकर वादी को धमकी दे रहे हैं। प्रतिवादीगण वादी को अपनी भूमि से जबरन बेदखल करना चाहते हैं व उपयोग, उपभोग में बाधा व रूकावट उत्पन्न कर रहे हैं। प्रतिवादीगण उक्त घटना के पूर्व में भी वादी की उपरोक्त कृषि भूमि सर्व नम्बर 3354 रकबा 0.03 हे. में अनाधिकृत रूप से प्रवेश होकर वादी को शान्तिपूर्वक कृषि कार्य में बाधा व रुकावट पैदा कर रहे हैं। प्रतिवादीगण द्वारा लडाई झगडा कर व वादी को अपनी कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु बाउण्डरी बनाने में अडचन पैदा करना बताया है। भूमिधारी तहसीलदार, गढ़ी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में वादग्रस्त सर्वे नम्बर 3354 में 18 फीट पर अतिक्रमण के रूप में बाउण्ड्री बनी होना बताया है। परन्तु बाउण्ड्री निर्माण प्रतिवादीगण द्वारा किया गया है ऐसा स्पष्ट नहीं किया। तथा वादग्रस्त भूमि में से भूमि का [illegible] बेचान कर दिया गया है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में व वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 05 अनुतोष:– तनकी संख्या 02 व 04 वादी के विरूद्ध निर्णित की गई है व तनकी संख्या 03 वादी के पक्ष में निर्णित तथा तनकी संख्या 01 आंशिक रूप से ही वादी के पक्ष में निर्णित की गई हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:30:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज भू–प्रबंध विभाग का खसरा पत्रक प्रदर्श A-7, जमाबंदी संवत 2052 से 2055 प्रदर्श A-1, के अलोकन से यह साबित होता है कि वादग्रस्त भूमि सर्वे नम्बर 3354 की किस्म–खवाडा है। जिसका तहसीलदार, गढ़ी के शुद्धि पत्र संख्या 05 दिनांक 16.8.2021 द्वारा शुद्धि कर दी गई है। भूमिधारी तहसीलदार, गढ़ी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि सर्वे नम्बर 3354 रकबा 0.03 हे0 में से 0.02 हे0 भूमि का दौराने वाद बेचान कर दिया गया है तथा सर्वे नम्बर 3354 में से बेचान की गई भूमि एवं शेष भूमि के नविन नम्बर पड चुके है। लिहाजा वादी का वाद पूर्ण रूप से पोषणिय नहीं है। अतः वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि सर्वे नम्बर 3354 से बने नविन सर्वे नम्बरो कि किस्म–खवाडा दर्ज किया जाना स्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10.06.2025 को सरे ईजराय सुनाया गया।

(श्रवण सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी,
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाडा

Signature Not Verified

Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:30:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : गढ़ी व इजलास : श्रवण सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 00068/2020

उनवान

1. गणेशलाल पिता शंकरलाल जाति ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी बोरी तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)।

—: वादी।

बनाम

1. पुष्पा देवी पत्नी हितेश जोशी जाति ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी बोरी तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)।
2. हितेश पिता ईच्छाशकंर जोशी जाति ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी बोरी तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)।
3. ईच्छाशकंर पिता गेफरलाल जोशी जाति ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी बोरी तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)।
4. कृष्णा जोशी पत्नी जीतेश जोशी जाति ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी बोरी तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)।
5. जीतेश जोशी पिता इच्छाशंकर जोशी जाति ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी बोरी तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)।
6. तहसीलदार तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)।

—: प्रतिवादीगण।

वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 10.6.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अभिभाषकगण पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं कि वादी की ओर से प्रस्तुत आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि सर्वे नम्बर 3354 से बने नविन सर्वे नम्बरो कि किस्म—खवाडा दर्ज किया जाना स्वीकार किया जाकर इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 10.6.2025 को जारी की गई।

(श्रवण सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी

मुदई	रूपया पैसा	मुद्दवायलह	रूपया पैसा
स्टाप की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	मेहनतनामा वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य
बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	मुतफरीक	
मुतफरीक	शून्य	कुल	शून्य
कुल	शून्य		

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:30:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner